| | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | ज्येष्ठ 9, सोमवार, शाके 1944-मई 30, 2022 | |
| | *Jyaistha 9, Monday , Saka 1944- May 30, 2022* | |


**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**कृषि (ग्रुप-2) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, मई 23, 2022**

**संख्या प.4(33) कृषि/ग्रुप-2/2019 :-**जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.4(33) कृषि/ग्रुप-2/2019 जयपुर, दिनांक 03.02.2020 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के क्षेत्र में से नगर पालिका, तिजारा का सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति, तिजारा एवं नगरपरिषद्, भिवाडी के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नयी कृषि उपज मण्डी समिति, तिजारा के नाम से स्थापित किये जाने के आशय की घोषणा की गई थी।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के घोषित क्षेत्र में से नगर पालिका, तिजारा का सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति, तिजारा एवं नगरपरिषद्, भिवाडी के समस्त क्षेत्र को पृथक करने की घोषणा करती है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में नगर पालिका, तिजारा का सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति, तिजारा एवं नगरपरिषद्, भिवाडी का समस्त क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति, तिजारा का मण्डी क्षेत्र होगा।

अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, तिजारा का नियमन करती है तथा इस कृषि उपज मण्डी समिति को "द" श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कृषि उपज मण्डी समिति, तिजारा को प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण राजस्व मण्डी समिति, तिजारा के प्रथम बोर्ड के गठन होने तक कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल में पूर्ववत् जमा होगा तथा मण्डी समिति तिजारा के प्रथम बोर्ड गठन होने के पश्चात उक्त जमा राशि मण्डी समिति, खैरथल द्वारा मण्डी समिति तिजारा को स्थानान्तरित की जायेगी।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

नसीम खान,
**शासन उप सचिव।**



**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।**